उत्तर प्रदेश शासन
अल्पसंख्यक कल्याण एवं वक्फ अनुभाग-4
संख्या-एचएस-37/52-4-2026-4099/61/2023
लखनऊ दिनांक 13-08-2026

अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सचिव/कार्यपालक अधिकारी, उ0प्र0 राज्य हज समिति, लखनऊ के पत्र संख्या-जी-II/365/एस0एच0सी0/लखनऊ/2026 दिनांक 12.08.2026 (प्रति संलग्न) का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा हज 2027 में उत्तर प्रदेश से पवित्र हज यात्रा पर जाने वाले हज यात्रियों के सहायतार्थ एवं मार्गदर्शनार्थ सरकारी कर्मियों (पुरूष/महिला) को उल्लिखित शर्तों के अधीन राज्य हज इन्स्पेक्टर (हाजी सेवक) के पद पर अस्थायी प्रतिनियुक्ति पर भारत के महावाणिज्य दूतावास, जेद्दाह, सऊदी अरब भेजे जाने का अनुरोध किया गया है।

प्रतिनियुक्ति पर जाने वाले राज्य हज इन्स्पेक्टर (हाजी सेवक) हेतु हज कमेटी ऑफ इण्डिया, मुम्बई द्वारा जारी सर्कुलर-07, दिनांक 11.08.2026 में दिये गये आवश्यक दिशा-निर्देश के मुख्य अंश निम्नवत् हैं:-:-

1. सभी मुस्लिम पुरूष और महिलाएं जिनकी शैक्षिक योग्यता मान्यता प्राप्त संस्था से स्नातक हो तथा केन्द्र/राज्य सरकार के स्थायी सरकारी कर्मचारी हों, जिनकी आयु दिनांक 13.08.2026 को 50 वर्ष के भीतर हो, को ऑनलाइन आवेदन 13 अगस्त, 2026 से 27 अगस्त, 2026 तक हज कमेटी ऑफ इण्डिया, मुम्बई की वेबसाइट https://hajcommittee.gov.in पर करना होगा तथा सभी आवश्यक निर्धारित प्रपत्र अपलोड भी किये जायेंगे। जिन आवेदकों को अंग्रेजी, उर्दू, हिन्दी, स्थानीय भाषा व अरबी भाषा बोलने का ज्ञान होगा उन्ह वरीयता दी जायेगी।ऑफलाइन आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा।
2. आवेदक मानसिक व शारीरिक रूप से पूर्णत: स्वस्थ हो। कम्प्यूटर में निपुण हो, हज सुविधा एप से पूर्णत: भिज्ञ हो। आवेदक को हज के अराकान का समुचित ज्ञान होना आवश्यक है। बड़ी सभाओं को प्रभावी ढंग से सम्बोधित करने और मार्गदर्शन करने की क्षमता होनी चाहिए। आवेदक के प्रति गत वर्षों में कॉसल जनरल ऑफ इण्डिया/हज कमेटी ऑफ इण्डिया, मुम्बई या राज्य हज समिति से प्रतिकूल रिपोर्ट होगी, उनके चयन पर विचार नहीं किया जायेगा।
3. आवेदक केन्द्र/राज्य सरकार, केन्द्रिय सशस्त्र पुलिस फोर्स/अर्द्धसैनिक बल/संवैधानिक संस्था व केन्द्र/राज्य सरकार के अधीन पब्लिक सेक्टर अण्डरटेकिंग का होना आवश्यक है। केन्द्र व राज्य सरकार में ग्रुप-ए/क्लास-1 या सातवें वेतन आयोग के आधार पर पे-लेवेल-10 या उससे अधिक या राज्य सरकार में उसके समकक्ष पद के अधिकारी/कर्मचारी आवेदन नहीं कर सकेंगे।
4. प्रत्येक 135 हज यात्रियों के ग्रुप पर 01 राज्य हज इंस्पेक्टर तैनात किया जाएगा। राज्य हज इंस्पेक्टर की प्रतिनियुक्ति अवधि दिनांक 03.04.2027 से 25.06.2027 के बीच लगभग 02 माह की होगी। इसे ड्यूटी पर तैनात माना जायेगा और मूल विभागों के सेवा अभिलेखों में आवश्यक प्रविष्टियां की जायेंगी। इस अवधि के दौरान राज्य हज इंस्पेक्टर अपने मूल विभागों से वेतन और भत्ते प्राप्त करते रहेंगे।
5. कम्प्यूटर बेस्ड परीक्षा दिनांक 06 सितम्बर, 2026 को होगी। साक्षात्कार दिनांक 08 सितम्बर, 2026 से 16 सितम्बर, 2026 के मध्य होगी। दो दिवसीय प्रशिक्षण अक्टूबर, 2026 के द्वितीय सप्ताह में मुम्बई में सम्भावित है। कम्प्यूटर बेस्ड परीक्षा 170 अंको व साक्षात्कार/व्यक्तित्व परीक्षण 30 अंको के संयुक्त मेरिट के आधार पर चयन होगा। कम्प्यूटर बेस्ड परीक्षा का सिलेबस एनेक्जर-III पर दिया गया है व साक्षात्कार का मापदण्ड एनेक्जर-IV पर दिया गया है। उत्तीर्ण होने के लिये कम्प्यूटर बेस्ड परीक्षा/व्यक्तित्व परीक्षण में अलग-अलग न्यूनतम 50 प्रतिशत अंक प्राप्त करना आवश्यक होगा। कम्प्यूटर बेस्ड परीक्षा में उत्तीर्ण आवेदकों को मेडिकल फिटनेस करना अनिवार्य होगा एनेक्जर-V।
6. आवेदक के अन्तर्राष्ट्रीय पासपोर्ट की वैद्यता 31 दिसम्बर, 2027 तक होना अनिवार्य है। आवेदक खादीमुल हुज्जाज/स्टेट हज इन्सपेक्टर के रूप में तीन बार या उससे अधिक सेवा प्रदान न की हो।
7. 25 प्रतिशत सीटें उन आवेदकों के लिये आरक्षित होंगी जिन्होन पिछले पॉच वर्षों में स्टेट हज इंस्पेक्टर/हज प्रतिनियुक्ति पर अनुकरणीय प्रदर्शन किया है, 20 प्रतिशत सीटें उन आवेदकों के लिये आरक्षित होंगी, जिन्होने अधिमानत: पिछले पॉच वर्षों में हज किया हो, 05 प्रतिशत सीटें हज कमेटी व वक्फ बोर्ड के स्थायी कर्मचारियों के लिए आरक्षित होंगी जो अर्हता रखते हों तथा 50 प्रतिशत सीटें सभी पात्र आवेदकों के लिये खुली रहेंगी।
8. एनेक्जर-I पर नियोक्ता से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त कर आवेदन करते समय अपलोड करना होगा। यदि अनापत्ति प्रमाण पत्र आवेदन करते समय प्राप्त नहीं होता है तो एनेक्जर-II पर अण्डरटेकिंग अपलोड करना होगा, जिसमें साक्षात्कार के समय प्रस्तुत करने हेतु वचनबद्धता होगी।
9. इच्छुक आवेदकों से अनुरोध है कि आवेदन से पूर्व कृपया हज कमेटी ऑफ इण्डिया, मुम्बई द्वारा निर्गत सर्कुलर-07 दिनांक 11.08.2026 का गम्भीरता से अध्ययन कर लें। सभी आवश्यक प्रपत्र आवेदन करते समय अपलोड करना अनिवार्य होगा।
10. आवेदन करने के तुरन्त बाद हार्ड कॉपी इस कार्यालय को डाक अथवा दस्ती प्रेषित करें।

2- इस संबंध में अनुरोध है कि कृपया अपने नियन्त्रणाधीन अधीनस्थ कार्यालय में कार्यरत इच्छुक अधिकारियों/कर्मचारियों का उल्लिखित नियमों/शर्तों के अनुसार ऑनलाइन आवेदन पूर्ण कर भारत सरकार को समयान्तर्गत उपलब्ध कराते हुये इस विभाग को भी उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

<u>संलग्नक-यथोक्त</u>

Digitally signed by
PRANESH CHANDRA SHUKLA
Date: 13-08-2026 17:18:27

(प्राणेश चन्द्र शुक्ल)
विशेष सचिव।

<u>संख्या एवं दिनांक तदैव</u>

प्रतिलिपि सचिव/कार्यपालक अधिकारी, उ0प्र0 राज्य हज समिति को उनके पत्र संख्या-जी-II/365/एस0एच0सी0/लखनऊ/2026 दिनांक 12.08.2026 के संबंध में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

आज्ञा से
Digitally signed by
ARVIND KUMAR GIRI
Date: 13-08-2026
(अरविन्द कुमार गिरि)
अनु सचिव।